

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इशिनशियल्स जज

23/11/22



पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी श्री हितेश चौबीसा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी इस प्रकार को आगे नहीं चलाना चाहते हैं व इस प्रकार में अग्रीम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण विग्रह करना चाहते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेरी एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत इस प्रकार को विग्रह की अनुमति दी जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फिलहाल खुला होना चाहती है।


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

